कार्यालयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र सं॰ 149 मा॰प्लान / जोन–8 / 18 दिनाँक : 13-02-2018

मै॰ एस॰आर॰एम॰ इन्फाटैक सोल्यूसन्स प्रा॰लि॰
प्राधिकृत हस्ताक्षरी श्री विकास दुआ
प्रथम तल, प्लाट नं॰–5, पूसा रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005

आपके प्रार्थना पत्र दिनाँक 31.01.17 के संदर्भ में भूखण्ड जी॰एच॰–07बी कोयल एन्कलेव, गाजियाबाद पर प्रस्तावित क्रय योग्य एफएआर सहित संशोधित मानचित्र सं॰–669 / जी॰एच॰ / जोन–8 / 16–17 पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनाँक 25.10.17 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे–नगर पालिका, जी॰डी॰ए॰) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नही होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई व्यय माँगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय / प्राधिकरण की विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि सार्वजनिक सडक की ओर न खुले।
7. सडक सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
9. यह मानचित्र उ॰प्र॰ नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
10. सडक पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
11. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम / शर्तों का पालन करना होगा।
12. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. पर्यावरण की दृष्टि से उ॰प्र॰ राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक हेक्टेयर 50 पेड लगाना अनिवार्य होंगे।
14. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा। भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाणं–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण करानें होंगे तथा बिना आज्ञा व प्रमाण–पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायेगें।
15. 300 वर्गमी॰ या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
16. 12.00 मी॰ से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
17. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचरना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. निर्धारित 24.00 मी॰ मार्ग में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोडते हुए निर्माण / विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्ड्री वाल का निर्माण रोड वाइडेनिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
19. भू–स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद / विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिन्हित कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
20. उक्त क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाहय विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य करायें जायेंगे।
21. नाली, चकरोड, ग्राम समाज व निगम / सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य / विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
22. भू–गर्भ जल का उपयोग किये जाने से पूर्व सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
23. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।
24. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिरकाव किया जाय एवं डस्ट सस्पेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। इसके साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये।
25. नियमानुसार RERA में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
26. अतिरिक्त शर्ते स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न हैं एवं मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : 1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक
गा॰वि॰प्रा॰, गाजियाबाद
13/2/2018

पत्रांक : / मा॰प्लान / दिनाँक /
प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जोन–8 को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक

अतिरिक्त शर्तें :–

1. ...न्तरिक विकास शुल्क का 50% रू॰ 82,73,710.00 एवं 75 प्रतिशत FAR की धनराशि रू॰ 1,76,74,389.00 हेतु सिक्योरिटी बाण्ड दिनाँक 08.02.18 05 फ्लैटों को बंधक रखते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. हिन्डन एयरफोर्स की एन॰ओ॰सी॰ 20.0 मी॰ ऊँचाई से अधिक निर्माण कार्य करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
3. प्रदूषण एवं पर्यावरण विभाग की एन॰ओ॰सी॰ कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।
4. फायर विभाग की एन.ओ.सी. में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. विक्रय विलेखों में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं भवन का उपयोग पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
6. विकासकर्ता को शपथ–पत्र दिनाँक 30.01.17 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
7. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्परोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्रॉइंग आई.आई.टी संस्थान से वैट कराकर मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रस्तुत करना होगा एवं तदनुसार ही स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा। भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9–आ–1–2001– भूकम्परोधी/2001(आ.ब)दिनाँक 03.02.01, 772/9–आ–1–01–भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) दिनाँक 13.02.01 तथा शासनादेश संख्या 3751/9–आ–1–1–भूकम्परोधी/01(आ.ब) दिनाँक 20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगाः–

(क) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, अनुबन्धित किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रुप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाईन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरुप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

(ख) भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रिट, ईंटें, कोर्स सैन्ड एवं मार्टर तथा कंकरीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।

(ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रुकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णताः प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तद्नुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4फुट x 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटैक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं सुपरविजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उस स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :–

i. नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति
ii. अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ
iii. अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल
iv. अधिकृत आर्किटैक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिनमें सैक्शन एवं एलीवेशन तथा सर्विसिज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे
v. भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एन्ड पी. का विवरण
vi. साईट इंजीनियर इन्सपैक्शन रिर्पोट रजिस्टर

12.02.18

vii. सामग्री परीक्षण रिर्पोट एवं सम्बन्धित रजिस्टर

8. 5(वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से रोपित करना होगा।

9. रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का प्राविधान भवन की फिनिशिंग का कार्य से पहले पूर्ण कराना होगा।

10. विकासकर्ता को सर्विस प्लान प्रस्तुत करना होगा।

11. आन्तरिक विकास कार्य पक्ष को स्वंय करने होगें।

12. भू–गर्भ जल उपयोग किये जाने पर सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति स्वंय प्राप्त करना होगा, सम्बन्धित विभाग से विवाद या आपत्ति होने की स्थिति में पक्ष स्वंय जिम्मेदार होगा तथा दी गयी स्वीकृत स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

13. कूडा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

14. विकलांग व्यक्तियों हेतु नियमानुसार रैम्प का निर्माण करना होगा।

15. विद्युत व्यवस्था हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन से स्वय कनैक्शन प्राप्त करना होगा।

16. नियमानुसार दर्शित पार्किग स्थल पर ही पार्किग करनी होगी, सडक पर पार्किग अनुमन्य नही होगी। पार्किग का 10 प्रतिशत visitors parking के रूप में आरक्षित करना होगा।

17. बेसमेन्ट की खुदाई से पूर्व खनन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

18. अन्दर के खुले स्थल/पार्क का उपयोग उसी रूप में करना होगा, अन्य उपयोग की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

19. मानचित्र स्वीकृति, भू–स्वामित्व को प्रभावित नही करेगी। भू–स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी भूमि पाये जाने की स्थिति में पक्ष स्वंय जिम्मेदार होगा तथा दी गयी स्वीकृत स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

20. भविष्य में कोई बढा हुआ विकास शुल्क या अन्य किसी शुल्क की मॉग की जाती है तो उसे पक्ष को जमा कराना होगा।

21. विभिन्न मदो में प्राधिकरण में जमा की जाने वाली धनराशि को जमा किये जाने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही को मानना होगा।

22. पूर्व स्वीकृत के आधार पर विक्रय किये गये फ्लैटों के स्वामी से वर्तमान में कय योग्य एफएआर सहित प्रस्तावना के लिए अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

23. नियमानुसार इलेक्ट्रिक बसबार, विकलांगो के लिए रैम्प, पोस्ट बाक्स आदि का प्राविधान करना होगा।

24. सुविधाजनक दुकानों का निर्माण आवश्यक रूप से करना होगा।

25. अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 के अन्तर्गत सामुदायिक सुविधाओं के स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में आवंटियों व आर॰डब्लू॰ए॰ द्वारा भविष्य में यदि कोई आपत्ति की जाती है तो समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी, प्राधिकरण जिम्मेदार न होगा तथा दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जोयगी।

26. निर्माण के समय यदि कोई दुर्घटना, जान–माल की हानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। स्थल पर निर्माण के समय लेबर के लिए जनसुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

27. जल दोहन के सम्बन्ध में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी की अनापत्ति, निर्माण कार्य से पूर्व प्राप्त करनी होगी।

28. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए. संख्या 21/2014/ में अलग अलग तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1760/पी0एस0एम0एस0/2016 दिनांक 18.11.2016 तथा विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या 3595/नौ–5–206–29रिट/2014 दिनांक 08.11.2016 से जारी निर्देशो के अनुपालनार्थ निर्माण प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन करना होगा –

   1. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
   2. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
   3. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
   4. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
   5. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
   6. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
   7. Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.
   8. It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.

12.02.18

9. All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
1 Wind breaking walls around constructin site.
11. All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.
12. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
13. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
14. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
15. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
16. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
17. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.
18. Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.
19. Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
20. Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
21. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).
22. Green belt creation will also act as a mitigating factor.

उक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में एन॰जी॰टी॰ द्वारा पारित आदेश दिनाँक 20.07.16 में उल्लेखित धनराशि पेनल्टी के रूप में वसूल की जायेगी।

29. विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार RERA में रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा रेरा में उल्लिखित नियमों अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
30. नियमानुसार रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक पॉवर प्लांट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफटॉप एरिया पर अनिवार्य रूप से करनी होगी।
31. अवशेष लेबर सेस की धनराशि सीधे सम्बन्धित विभाग में जमा कराकर रसीद की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
32. पर्यावरण विभाग से पर्यावरणीय क्लियरेन्स(ई0सी0) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
33. कय योग्य एफएआर की अवशेष 75 प्रतिशत बकाया धनराशि तीन छमाही किश्तों में 12.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से निम्नानुसार देय होंगी :–

क्र॰सं॰	देय तिथि	मूलधन	ब्याज	योग
1	25.02.18	रू॰ 22,09,298.00	रू॰ 7,06,976.00	रू॰ 29,16,274.00
2	25.04.18	रू॰ 22,09,298.00	रू॰ 4,63,953.00	रू॰ 26,73,251.00
3	25.07.18	रू॰ 22,09,298.00	रू॰ 3,97,674.00	रू॰ 26,06,972.00
4	25.10.18	रू॰ 22,09,298.00	रू॰ 3,31,395.00	रू॰ 25,40,693.00
5	25.01.19	रू॰ 22,09,298.00	रू॰ 2,65,116.00	रू॰ 24,74,414.00
6	25.04.19	रू॰ 22,09,298.00	रू॰ 1,98,837.00	रू॰ 24,08,135.00
7	25.07.19	रू॰ 22,09,298.00	रू॰ 1,32,558.00	रू॰ 23,41,856.00
8	25.10.19	रू॰ 22,09,303.00	रू॰ 66,279.00	रू॰ 22,75,582.00

निर्धारित तिथि पर किश्त का भुगतान न करने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज भी देय होगा एवं फिर भी भुगतान न किये जाने पर लियन की गयी भूमि से वसूली की जाएगी।

12.2.18
अवर अभियन्ता

सहायक नगर नियोजक

नगर नियोजक